

(A) For rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

“3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. – The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”;

(B) in the Schedule, —

I. against serial number 1, relating to the post of Supervisor Grade-III/Assistant Supervisor-cum-Cashier/Clerk-cum-Cashier/Cashier,—

(i) in column (4), for the column heading and the entries relating thereto, the following column heading and entries shall be substituted, namely, —

“Level in pay matrix
(4)
Level 2 (Rs. 19900-63200)”;

(ii) in column (11), under the sub-heading ‘Promotion’,—

(a) for the words, letters and figures “Pay Band-1, Rs. 5200-20200 and grade pay of Rs. 1800”, the words, brackets and figures “Level 1 (Rs. 18000 to Rs. 56900) in the pay matrix” shall be substituted;

(b) “Note 3” shall be omitted.

II. against serial number 2, relating to the post of Cook, —

(i) in column (4), for the entries, the entries “Level 2” (Rs. 19900-63200) shall be substituted.

(ii) in column (11), under the sub—heading ‘Promotion’,—

(a) for the words, letters and figures “Pay Band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1800”, the words, brackets and figures “level 1 (Rs. 18000 to Rs. 56900) in the pay matrix” shall be substituted;

(b) “Note 4” shall be omitted.

III. against serial number 3, relating to the post of Canteen Attendant (erstwhile Group ‘D’ posts of Kitchen Assistant, Salesman, Vendor, Server, Bearer, Waiter, Masalchi and Washerman/Boy),—

(i) in column (4), for the entries, the entries “Level 1 (Rs. 18000 - 56900)”, shall be substituted.

[F. No.A/86320/RR/CANTEEN/DGQA/Adm-10/ 98/D(QA) /2019]

JAYASREE C. R, Under Secy.

Note : The principal rules were published vide notification number S.R.O. 38 dated the 31st May, 2012 in the Gazette of India, Part II, Section 4, dated the 9th June, 2012.

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2019

का.नि.आ. 30.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय समूह ‘ग’ पद (सुरक्षा सहायक), भर्ती नियम, 2012 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय में सुरक्षा सहायक (श्रेणी-‘क’), सुरक्षा सहायक (श्रेणी-‘ख’) और सुरक्षा सहायक (श्रेणी-‘ग’), के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, रक्षा उत्पादन विभाग, गुणता आश्वासन महानिदेशालय, समूह ‘ग’ पद (सुरक्षा सहायक) भर्ती नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि**.— भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता**.— वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.— जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति**.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. सुरक्षा सहायक (श्रेणी-'क')।	12* (2019) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स (29200-92300 रु.) में स्तर-5	अचयन

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा

(6)
आयु 18 से 27 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।
टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।
टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

(7)
आवश्यक: किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास या समतुल्य के साथ होम गार्ड या नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष सेवा की हो।
वांछनीय: होम गार्ड या नागरिक सुरक्षा में कम से कम 'बुनियादी' और 'पुनश्चर्या' में प्रशिक्षण।

या

ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता हो।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाले रिक्तियों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रोन्नति :

वेतन मैट्रिक्स (25500- 81100 रु.) में स्तर-4 के ऐसे सुरक्षा सहायक(श्रेणी-'ख') जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पाँच वर्ष सेवा की है।

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-

I. आयुध विद्या

गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (ए. वी. ए.), अवाडी, चेन्नई :

1. अपर नियंत्रक या संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (ए. वी. ए.), अवाडी, चेन्नई - अध्यक्ष
2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (ए. वी. ए.), अवाडी, चेन्नई से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य
3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (आयुध), जबलपुर से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य
4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य

II. इलेक्ट्रॉनिक विद्या

गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इलेक्ट्रॉनिक्स), बंगलौर:

- | | |
|---|-----------|
| 1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इलैक्ट्रॉनिक्स), बंगलौर | - अध्यक्ष |
| 2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इलैक्ट्रॉनिक्स), बंगलौर से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (रडार), बंगलौर से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |

III. भंडार विद्या

गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (कपड़ा और वस्त्र), कानपुर:

- | | |
|---|-----------|
| 1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (कपड़ा और वस्त्र), कानपुर | - अध्यक्ष |
| 2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (कपड़ा और वस्त्र), कानपुर से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सामग्री), कानपुर से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |

IV. इंजीनियरिंग उपस्कर विद्या

गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरिंग उपस्कर), औंध कैप, पुणे:

- | | |
|---|-----------|
| 1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरिंग उपस्कर), औंध कैप, पुणे | - अध्यक्ष |
| 2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरिंग उपस्कर), औंध कैप, पुणे से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (अग्निशमक उपस्कर), औंध कैप, पुणे से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |

V. यान विद्या

गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर:

- | | |
|---|-----------|
| 1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर | - अध्यक्ष |
| 2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (विशेष यान), देहू रोड, पुणे से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |

VI. धातु कर्म और सैन्य विस्फोटक विद्या

गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), औंध कैप, पुणे:

- | | |
|---|-----------|
| 1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), औंध कैप, पुणे | - अध्यक्ष |
| 2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), औंध कैप, पुणे से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (धातु), इच्छापुर से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. सुरक्षा सहायक (श्रेणी- 'ख')।	23*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसूचित।	वेतन मैट्रिक्स (25500- 81100 रु.) में स्तर-4	अचयन

(6)
<p>आयु 18 से 27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> <p>टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>

(7)
<p>आवश्यक:</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास या समतुल्य के साथ होम गार्ड या नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष सेवा की हो।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>होम गार्ड या नागरिक सुरक्षा में कम से कम 'बुनियादी' और 'पुनश्चर्या' में प्रशिक्षण।</p> <p>या</p> <p>ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता हो।</p> <p>टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।</p> <p>टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।</p>

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
<p>प्रोन्नति :</p> <p>वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर-2 में ऐसे सुरक्षा सहायक (श्रेणी-'ग') जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की है।</p>

टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(12)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:—

I. आयुध विद्या

गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (ए. वी. ए.), अवाडी, चेन्नई :

- | | |
|---|-----------|
| 1. अपर नियंत्रक या संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (ए. वी. ए.), अवाडी, चेन्नई | - अध्यक्ष |
| 2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (ए. वी. ए.), अवाडी, चेन्नई से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (आयुध), जबलपुर से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |

II. इलैक्ट्रोनिक विद्या

गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इलैक्ट्रोनिक्स), बंगलौर:

- | | |
|---|-----------|
| 1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इलैक्ट्रोनिक्स), बंगलौर | - अध्यक्ष |
| 2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इलैक्ट्रोनिक्स), बंगलौर से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (रडार), बंगलौर से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |

III. भंडार विद्या

गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (कपड़ा और वस्त्र), कानपुर:

- | | |
|---|-----------|
| 1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (कपड़ा और वस्त्र), कानपुर | - अध्यक्ष |
| 2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (कपड़ा और वस्त्र), कानपुर से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सामग्री), कानपुर से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |

IV. इंजीनियरिंग उपस्कर विद्या

गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरिंग उपस्कर), औंध कैंप, पुणे:

- | | |
|--|-----------|
| 1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरिंग उपस्कर), औंध कैंप, पुणे | - अध्यक्ष |
| 2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरिंग उपस्कर), औंध कैंप, पुणे से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (अग्निशमक उपस्कर), औंध कैंप, पुणे से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |
| 4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी | - सदस्य |

V. यान विद्या

गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर:

1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर	- अध्यक्ष
2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (विशेष यान), देहू रोड, पुणे से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
VI. धातु कर्म और सैन्य विस्फोटक विद्या	
गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), औंध कैंप, पुणे:	
1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), औंध कैंप, पुणे	- अध्यक्ष
2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), औंध कैंप, पुणे से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (धातु), इच्छापुर से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य

(13)
लागू नहीं होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. सुरक्षा सहायक (श्रेणी- 'ग')	33*(2019) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु.) में स्तर-2	अचयन

(6)
<p>आयु 18 से 27 वर्ष के बीच।</p> <p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है)।</p> <p>टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।</p> <p>टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>

(7)
<p>आवश्यक:</p> <p>किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिक पास या समतुल्य के साथ होम गार्ड या नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष सेवा की हो।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>होम गार्ड या नागरिक सुरक्षा में कम से कम 'बुनियादी' और 'पुनश्चर्या' में प्रशिक्षण।</p> <p>या</p> <p>ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनके पास किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता हो।</p>

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता, उन कारणों के लिए, जो लेखबद्ध किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(11)
<p>प्रोन्नति :</p> <p>वेतन मैट्रिक्स (18000-56900 रु.) में स्तर-I में ऐसे बहु-कार्य कर्मचारिवृंद (सुरक्षा) जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की है।</p> <p>टिप्पण : जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहाँ उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>

(12)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:-</p> <p>I. आयुध विद्या</p> <p>गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (ए. वी. ए.), अवाडी, चेन्नई :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर नियंत्रक या संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (ए. वी. ए.), अवाडी, चेन्नई - अध्यक्ष 2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (ए. वी. ए.), अवाडी, चेन्नई से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (आयुध), जबलपुर से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य <p>II. इलैक्ट्रॉनिक विद्या</p> <p>गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इलैक्ट्रॉनिक्स), बंगलौर:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इलैक्ट्रॉनिक्स), बंगलौर - अध्यक्ष 2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इलैक्ट्रॉनिक्स), बंगलौर से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (रडार), बंगलौर से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य 4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी - सदस्य <p>III. भंडार विद्या</p> <p>गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (कपड़ा और वस्त्र), कानपुर:</p>

1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (कपड़ा और वस्त्र), कानपुर	- अध्यक्ष
2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (कपड़ा और वस्त्र), कानपुर से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सामग्री), कानपुर से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
IV. इंजीनियरिंग उपस्कर विद्या	
गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरिंग उपस्कर), औंध कैप, पुणे:	
1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरिंग उपस्कर), औंध कैप, पुणे	- अध्यक्ष
2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (इंजीनियरिंग उपस्कर), औंध कैप, पुणे से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (अग्निशमक उपस्कर), औंध कैप, पुणे से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
V. यान विद्या	
गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर:	
1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर	- अध्यक्ष
2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (यान), अहमदनगर से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (विशेष यान), देहू रोड, पुणे से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
VI. धातु कर्म और सैन्य विस्फोटक विद्या	
गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), औंध कैप, पुणे:	
1. संयुक्त नियंत्रक, गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), औंध कैप, पुणे	- अध्यक्ष
2. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (सैन्य विस्फोटक), औंध कैप, पुणे से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
3. गुणता आश्वासन नियंत्रणालय (धातु), इच्छापुर से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य
4. प्रशासन निदेशालय, मुख्यालय, गुणता आश्वासन महानिदेशालय से एक समूह 'क' अधिकारी	- सदस्य

(13)

लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए/86320/आर.आर./सुरक्षा /डीजीक्यूए/प्रशा-10/66/डी(क्यू.ए./2019]

जयश्री सी. आर., अवर सचिव

New Delhi, the 30th January, 2019

S.R.O. 30.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' Posts (Security Assistant) Recruitment Rules, 2012, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Security Assistant (Grade-`A`), Security Assistant (Grade-`B`) and Security Assistant (Grade-`C`), in the Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, namely :—

1. **Short title and commencement .**—(1)These rules may be called the Ministry of Defence, Department of Defence Production, Directorate General of Quality Assurance, Group 'C' Posts (Security Assistant) Recruitment Rules, 2019.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**— The number of said posts, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns(5) to (13) of the said Schedule.
4. **Disqualification.**—No person, —
(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any of the said posts:
Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.
5. **Power to relax .**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving .**— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or Non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Security Assistant (Grade- `A`).	12* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 5 in the Pay Matrix (Rs. 29200 -92300)	Non-selection.

Age limit for direct recruits

(6)

Age between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard).

Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

Note 2: In respect of the posts for which appointments are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

Educational and other qualifications required for direct recruits

(7)

Essential :

Matric pass or equivalent from any recognized Board with three years service as Home Guards or Civil Defence volunteers.

Desirable :

Training in at least 'Basic' and 'Refresher' courses in Home Guards or Civil Defence.

or

Ex-serviceman possessing the qualification of Matriculation or equivalent from any recognized Board.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment: whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits only	By promotion failing which by direct recruitment

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made

(11)

Promotion:

Security Assistant (Grade-'B') in the Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion, and confirmation) consisting of :-</p> <p>I. Armament Discipline</p> <p>Controllerate of Quality Assurance(AVA), Avadi, Chennai:</p> <p>(1) Additional Controller or Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (AVA), Avadi, Chennai - Chairman</p> <p>(2) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(AVA), Avadi, Chennai - Member</p> <p>(3) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Weapons), Jabalpur - Member</p> <p>(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member</p> <p>II. Electronic Discipline</p> <p>Controllerate of Quality Assurance(Electronics), Bangalore :</p>	Not applicable.

<p>(1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance(Electronics), Bangalore - Chairman</p> <p>(2) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Electronics),Bangalor - Member</p> <p>(3) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Radar), Bangalore - Member</p> <p>(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member</p>	
<p>III. Stores Discipline</p> <p>Controllerate of Quality Assurance(Textiles and Clothing), Kanpur :</p> <p>(1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Textiles and Clothing), Kanpur - Chairman</p> <p>(2) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Textiles and Clothing), Kanpur - Member</p> <p>(3) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Materials), Kanpur - Member</p> <p>(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member</p>	
<p>IV. Engineering Equipment Discipline</p> <p>Controllerate of Quality Assurance(Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune :</p> <p>(1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance(Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune - Chairman</p> <p>(2) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune - Member</p> <p>(3) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Fire Fighting Equipment), Aundh Camp, Pune - Member</p> <p>(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member</p>	
<p>V. Vehicles Discipline</p> <p>Controllerate of Quality Assurance(Vehicles), Ahmednagar :</p> <p>(1) Joint Controller,Controllerate of Quality Assurance(Vehicles), Ahmednagar - Chairman</p> <p>(2) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Vehicles), Ahmednagar - Member</p> <p>(3) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Special Vehicles), Dehu Road,Pune - Member</p> <p>(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member</p>	
<p>VI. Metallurgy and Military Explosive Discipline</p> <p>Controllerate of Quality Assurance(Military Explosives), Aundh Camp, Pune :</p> <p>(1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Military Explosives), Aundh Camp, Pune - Chairman</p> <p>(2) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Military Explosives), Aundh Camp, Pune - Member</p> <p>(3) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Metals), Ichapur - Member</p> <p>(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member</p>	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2. Security Assistant (Grade- 'B')	23* (2019) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level 4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100)	Non-selection

(6)
<p>Age between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants candidates upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard).</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2: In respect of the posts for which appointments are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.</p>

(7)
<p>Essential :</p> <p>Matric pass or equivalent from any recognized Board with two years service as Home Guards or Civil Defence volunteers.</p> <p>Desirable :</p> <p>Training in at least 'Basic' and 'Refresher' courses in Home Guards or Civil Defence.</p> <p style="text-align: center;">or</p> <p>Ex-serviceman possessing the qualification of Matric pass or equivalent from any recognized Board.</p> <p>Note 1 : Qualification are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The Qualification(s) regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits only	By promotion failing which by direct recruitment

(11)
<p>Promotion :</p> <p>Security Assistant (Grade-'C') in the Level 2 in the Pay Matrix (19900-63200) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion, and confirmation) consisting of :-</p> <p>I. Armament Discipline</p> <p>Controllerate of Quality Assurance(AVA), Avadi, Chennai :</p> <p>(1) Additional Controller or Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (AVA), Avadi, Chennai - Chairman</p> <p>(2) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(AVA), Avadi, Chennai - Member</p> <p>(3) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Weapons), Jabalpur - Member</p> <p>(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member</p> <p>II. Electronic Discipline</p> <p>Controllerate of Quality Assurance(Electronics), Bangalore :</p> <p>(1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance(Electronics), Bangalore - Chairman</p> <p>(2) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Electronics), Bangalore - Member</p> <p>(3) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Radar), Bangalore - Member</p> <p>(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member</p> <p>III. Stores Discipline</p> <p>Controllerate of Quality Assurance(Textiles and Clothing), Kanpur :</p> <p>(1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Textiles and Clothing), Kanpur - Chairman</p> <p>(2) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Textiles and Clothing), Kanpur - Member</p> <p>(3) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Materials), Kanpur - Member</p> <p>(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member</p> <p>IV. Engineering Equipment Discipline</p> <p>Controllerate of Quality Assurance (Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune :</p> <p>(1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance(Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune - Chairman</p> <p>(2) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune - Member</p> <p>(3) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance (Fire Fighting Equipment), Aundh Camp, Pune - Member</p> <p>(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member</p> <p>V. Vehicles Discipline</p> <p>Controllerate of Quality Assurance(Vehicles), Ahmednagar :</p> <p>(1) Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance(Vehicles), Ahmednagar - Chairman</p> <p>(2) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Vehicles), Ahmednagar - Member</p> <p>(3) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Special Vehicles), Dehu</p>	<p>Not applicable.</p>

Road,Pune	- Member	
(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance	- Member	
VI. Metallurgy and Military Explosive Discipline		
Controllarate of Quality Assurance(Military Explosives), Aundh Camp, Pune :		
(1) Joint Controller, Controllarate of Quality Assurance (Military Explosives), Aundh Camp, Pune	- Chairman	
(2) Group 'A' officer from Controllarate of Quality Assurance(Military Explosives), Aundh Camp, Pune	- Member	
(3) Group 'A' officer from Controllarate of Quality Assurance(Metals), Ichapur-	Member	
(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance	- Member	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. Security Assistant (Grade- 'C').	33* (2019) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level 2 in the Pay Matrix (Rs. 19900-63200)	Non-selection.

(6)
Age between 18 and 27 years of age (Relaxable for Government servants upto the age of 40 years in the case of general candidates and 45 years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard).
Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
Note 2: In respect of the posts for which appointments are made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

(7)
Essential :
Matric pass or equivalent from any recognized Board with one year service as Home Guards or Civil Defence volunteers.
Desirable :
Training in at least 'Basic' and 'Refresher' courses in Home Guards or Civil Defence.
or
Ex-serviceman possessing the qualification of Matric pass or equivalent from any recognized Board.
Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.
Note 2 : The Qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Competent Authority, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to Scheduled castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Competent Authority is of the opinion that sufficient number candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits only	By promotion failing which by direct recruitment

(11)
<p>Promotion:</p> <p>Multi-Tasking Staff (Security) in the Level 1 in Pay Matrix (Rs. 18000-56900) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>Note : Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p>

(12)	(13)
<p>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion, and confirmation) consisting of :-</p> <p>I. Armament Discipline</p> <p>Controllorate of Quality Assurance(AVA), Avadi, Chennai:</p> <p>(1) Additional Controller or Joint Controller, Controllorate of Quality Assurance (AVA), Avadi, Chennai - Chairman</p> <p>(2) Group 'A' officer from Controllorate of Quality Assurance(AVA), Avadi, Chennai - Member</p> <p>(3) Group 'A' officer from Controllorate of Quality Assurance(Weapons), Jabalpur - Member</p> <p>(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member</p> <p>II. Electronic Discipline</p> <p>Controllorate of Quality Assurance(Electronics), Bangalore :</p> <p>(1) Joint Controller, Controllorate of Quality Assurance(Electronics), Bangalore - Chairman</p> <p>(2) Group 'A' officer from Controllorate of Quality Assurance(Electronics), Bangalore - Member</p> <p>(3) Group 'A' officer from Controllorate of Quality Assurance(Radar), Bangalore - Member</p> <p>(4) Group 'A' officers from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member</p> <p>III. Stores Discipline</p> <p>Controllorate of Quality Assurance(Textiles and Clothing), Kanpur :</p> <p>(1) Joint Controller, Controllorate of Quality Assurance (Textiles and Clothing), Kanpur - Chairman</p> <p>(2) Group 'A' officer from Controllorate of Quality Assurance(Textiles and Clothing), Kanpur - Member</p> <p>(3) Group 'A' officer from Controllorate of Quality Assurance(Materials), Kanpur - Member</p> <p>(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member</p> <p>IV. Engineering Equipment Discipline</p> <p>Controllorate of Quality Assurance(Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune :</p> <p>(1) Joint Controller, Controllorate of Quality Assurance(Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune - Chairman</p> <p>(2) Group 'A' officer from Controllorate of Quality Assurance(Engineering Equipment), Aundh Camp, Pune - Member</p> <p>(3) Group 'A' officer from Controllorate of Quality Assurance(Fire Fighting Equipment), Aundh Camp, Pune - Member</p>	Not applicable

(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member	
V. Vehicles Discipline	
Controllerate of Quality Assurance(Vehicles), Ahmednagar :	
(1) Joint Controller , Controllerate of Quality Assurance(Vehicles), Ahmednagar – Chairman	
(2) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Vehicles), Ahmednagar - Member	
(3) Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Special Vehicles), Dehu Road, Pune - Member	
(4) Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member	
VI. Metallurgy and Military Explosive Discipline	
Controllerate of Quality Assurance(Military Explosive), Aundh Camp, Pune :	
(1). Joint Controller, Controllerate of Quality Assurance (Military Explosive), Aundh Camp, Pune - Chairman	
(2). Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Military Explosive), Aundh Camp, Pune - Member	
(3). Group 'A' officer from Controllerate of Quality Assurance(Metals), Ichapur – Member	
(4). Group 'A' officer from Administration Directorate, Headquarters, Directorate General of Quality Assurance - Member	

[F. No.A/86320/RR/ Security/DGQA/Adm-10/66/D(QA) /2019]

JAYASREE C. R., Under Secy.

नई दिल्ली, 22 फरवरी, 2019

का.नि.आ. 31.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक इंजीनियर सेवा में अपर महानिदेशक (माध्यस्थम्) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक इंजीनियर सेवा (परिमाण सर्वेक्षण और संविदा काडर), अपर महानिदेशक (माध्यस्थम्), समूह 'क' पद भर्ती नियम 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान.** – उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मेट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपावृद्ध अनुसूची के स्तम्भ(2)से(4)में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वाक्त अनुसूची के स्तम्भ(5)से(13)में विनिर्दिष्ट हैं।
- तिरर्हता.** – वह व्यक्ति –
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा भी है या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा भी है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।